

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 15.09.2016 को जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में सिविल लाइन्स स्थित इन्दिरा भवन के बेसमेण्ट, भूतल एवं प्रथम तल पर दुकानों के सामने गलियारों, सीढियों, निकास द्वारों, ओपेन स्पेश आदि में अतिक्रमण कर चलाये जा रहे अवैध रूप से अस्थायी व स्थायी दुकानों को हटवाया गया तथा लोहे की एंगल से स्थायी रूप से जो अवैध कब्जे किये गये हैं उनको कटवाकर तथा अवशेष अतिक्रमणों को कल दिनांक 16.09.2016 को हटवाया जायेगा। अवैध अतिक्रमण कर्ताओं को चिन्हित कर लिया गया है उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भवन निरीक्षक श्री राम नारायण आजाद, श्री राम सूरत सिंह, लिपिक श्री जनार्दन वर्मा व अन्य प्राधिकरण कर्मचारी गैंगमैन ,ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

उक्त के अतिरिक्त आज दिनांक 15.09.2016 को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में प्राधिकरण से सम्बन्धित जनसामान्य की शिकायतों के निस्तारण हेतु 26वाँ प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया जिसमें राजस्व अनुभाग से सम्बन्धित 03 शिकायतें एवं भवन अनुभाग से सम्बन्धित 03 कुल 06 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धि अनुभाग को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

(गुडाकेश शर्मा)
सचिव/अपर सचिव
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क

प्रतिलिपि:

सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

सचिव/अपर सचिव
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद।

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 15.09.2016 को जोनल अधिकारी श्री पुष्कर श्रीवास्तव के नेतृत्व में जोन संख्या-02 के अन्तर्गत कालिन्दीपुरम क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी जिसमें श्री संजय त्रिपाठी द्वारा भूतल पर लगभग 20X50 फिट के क्षेत्रफल में कराये जा रहे अवैध निर्माण, श्री असरफी लाल केशरवानी द्वारा भावापुर में भूतल पर लगभग 50X40 फिट के क्षेत्रफल में कराये जा रहे अवैध निर्माण, ऋषि पब्लिक स्कूल कालिन्दीपुरम मुख्य मार्ग शदाब चौराहे के पास डा0 आर0बी0सिंह द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत विचलन करते हुए लगभग 250 वर्गमीटर में नर्सिंग होम का निर्माण, श्री शम्भूनाथ इन्जीनियरिंग कालेज झलवा के बागल द्वारा भूतल पर लगभग 25X50 फिट के क्षेत्रफल में कराये जा रहे अवैध निर्माण एवं श्री दशरथ लाल द्वारा दादनपुर में भूतल प्रथम एवं द्वितीय तल पर लगभग 30X50 फिट के क्षेत्रफल में कराये जा रहे अवैध निर्माणों सहित कुल 05 अवैध निर्माणों को सील किया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारी के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री जयशंकर सिंह क्षेत्रीय भवन निरीक्षक श्री कुँवर सिंह, श्री राम अधार व क्षेत्रीय सुपरवाइजर श्री शिवअधार गैंगमैन ,ए0डी0ए0 प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(गुडाकेश शर्मा)

सचिव/अपर सचिव
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क

प्रतिलिपि:

सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।



सचिव/अपर सचिव
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क